प्रेस विज्ञप्ति

6.8.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने 5/8/2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत, मैंगलोर ऑटोरिक्शा विस्फोट मामले के मुख्य अभियुक्तों में से एक, सैयद यासीन के खाते में मौजूद 29,176/- रुपये की बैंक बैलेंस के रूप में एक चल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने ऑटो रिक्शा चालक के. पुरुषोत्तम की शिकायत पर मंगलुरु शहर के कंकणाडी पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह शिकायत 19.11.2022 को लगभग 16:40 बजे उनके ऑटो रिक्शा के पिछले हिस्से में हुए विस्फोट से संबंधित थी। बाद में केंद्रीय एजेंसी एनआईए ने इसे एफआईआर संख्या आरसी 47/2022/एनआईए/डीएलआई के रूप में पुनः दर्ज किया।चूँकि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धाराएँ 3, 4 और 5 पीएमएलए, 2002 की धारा 2(1)(वाई) के अंतर्गत अनुसूचित अपराध हैं, इसलिए पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत जाँच शुरू करने के लिए दिनांक 25.11.2022 की ईसीआईआर संख्या BGZO/84/2022 दर्ज की गई। इस मामले में दायर आरोपपत्र से पता चलता है कि मैंगलोर में उपरोक्त ऑटो रिक्शा विस्फोट आईएसआईएस की योजना का एक हिस्सा था, जो एक आतंकवादी संगठन है जिसका उद्देश्य भारत सरकार के खिलाफ आतंक फैलाना और युद्ध छेड़ना और भारत की अखंडता और संप्रभुता को खतरा पहुंचाना था।

जांच से पता चला कि 'कर्नल' नाम के आईएसआईएस ऑनलाइन हैंडलर ने मुख्य आरोपी मोहम्मद शारिक उर्फ प्रेमराज और अन्य आरोपियों को विकर ऐप/टेलीग्राम आदि पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी)/बम बनाने का प्रशिक्षण दिया था और कुछ खच्चर खातों और क्रिप्टो मुद्राओं के माध्यम से भी धन की व्यवस्था की थी, जिन्हें कभी-कभी सैयद यासीन और मोहम्मद शारिक द्वारा पीओएस एजेंटों के माध्यम से कमीशन के लिए इनकैश कराया जाता था और कुछ मामलों में इनकैश की गई क्रिप्टोकरेंसी को एफआईएनओ पेमेंट्स बैंक में धोखाधड़ी से खोले गए खच्चर खातों के माध्यम से भेजा जाता था। उपर्युक्त तरीके से, विभिन्न क्रिप्टो मुद्रा डीलरों द्वारा खच्चर खातों में कुल 2,86,008/- रुपये जमा किए गए और पीओएस एजेंटों से 41,680/- रुपये नकद एकत्र किए गए। उक्त राशि का उपयोग आईईडी बनाने के लिए ऑनलाइन सामान खरीदने, मैसूर शहर और अन्य स्थानों पर ठिकाने किराए पर लेने, और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विभिन्न स्थानों की रेकी करने के लिए किया गया था। विशेष रूप से, उक्त बम धर्मस्थल मंजूनाथ स्वामी मंदिर में लगाया जाना था। बम का टाइमर 90 मिनट के बजाय 09 सेकंड पर सेट होने के कारण ऑटोरिक्शा में ही विस्फोट हो गया। एक अन्य आरोपी माज़ मुनीर ने ही ऑनलाइन संचालक कर्नल द्वारा भेजे गए विभिन्न भुगतान प्राप्त करने के लिए मोहम्मद शारिक को उपरोक्त फिनो पेमेंट्स बैंक म्यूल खातों का विवरण प्रदान किया था। उपरोक्त राशि उक्त उद्देश्यों के लिए खर्च की गई थी और कर्नाटक पुलिस द्वारा फादर मुलर अस्पताल में मोहम्मद शारिक के बैग से जब्त की गई 39,228 रुपये की राशि को एनआईए ने अपने कब्जे में ले लिया है। अतः

वर्तमान में सैयद यासीन के बैंक खाते में उपलब्ध धनराशि अर्थात् 29,176/- रुपये को पी.ए.ओ. संख्या 19/2025 के माध्यम से कुर्क कर लिया गया है। वर्तमान में उपरोक्त सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जाँच जारी है।